

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

क्रमांक : 1596-1608

दिनांक : 20/4/2024

-: कार्यालय आदेश :-

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 1330-1373 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा दिनांक 27.04.2024 के अवकाश के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई के लिये सुश्री कान्ता कुमारी न्यायिक मजिस्ट्रेट, (दक्षिण) कोटा की रिमाण्ड इयूटी लगायी गई थी, किन्तु सुश्री कान्ता कुमारी का स्थानान्तरण कोटा से न्यायिक मजिस्ट्रेट, थानागाजी जिला अलवर के पद पर हो गया है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक : 04/E.V./2024 दिनांक 16.04.2024 की अनुपालना में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय कोटा द्वारा आदेश क्रमांक 175 दिनांक 19.04.2024 के द्वारा लोकसभा आम चुनाव के मतदान दिवस दिनांक 26.04.2024 को अवकाश घोषित किया गया है।

अतः मैं सावित्री सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटा, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 1330-1373 दिनांक 01.04.2024 के अनुक्रम में दिनांक 26.04.2024 व 27.04.2024 के अवकाशों के दिन कोटा शहर तथा कोटा ग्रामीण की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात् में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवाई के लिये रिमाण्ड इयूटी हेतु निम्नांकित अधिकारीगण को निम्न प्रकार से अधिकृत करती हूँ :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	श्री निखिल टांक MB. 9644482989	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-5 उत्तर कोटा (मजिस्ट्रेट स्तर के आवश्यक न्यायिक कार्य हेतु)	26.04.2024
02	श्रीमती कुसुम मीणा MB. 8287764226	अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम-2 कोटा (सेशन स्तर के आवश्यक न्यायिक कार्य हेतु)	26.04.2024
03	सुश्री आकांशा मीणा, MB. 9714328238	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-1 कोटा	27.04.2024

नोट :-

- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से दोपहर 1.00 पी.एम. से 3.00 पी.एम. तक एवं प्रातःकालीन न्यायालय समय में 9.00 ए.एम. से 11.00 ए.एम. तक न्यायालय परिसर, कोटा में अपने न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
- उक्त रिमाण्ड इयूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी तथा इस अवधि में राज्य अथवा राज्य के बाहर से कोटा पधारने वाले माननीय न्यायाधिपतिगण के कोटा प्रयास पर उनके आगमन, प्रयास एवं प्रस्थान के दौरान उनके पद एवं गरिमा के अनुरूप एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 06/पीआई/2008 दिनांक 29.07.08 के निर्देशानुसार प्रोटोकॉल इयूटी भी उक्त अधिकारीगण करेंगे।

सावित्री सिंह
20/04/2024
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कोटा (राज.)